रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 74] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 17, 1999/भाद्र 26, 1921
No. 74] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 17, 1999/BHADRA 26, 1921

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1999

सं. टीएएमपी/63/99-सीएचपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार सीएचपीटी के मान दरों में परित्याग किए गए एफसीएल कंटेनरों/पोतवणिक स्वामित्व वाले कंटेनरों और 'गैर-पोतवणिक स्वामित्व वाले कंटेनरों' के लिए दो महीने की समय-सीमा निर्धारण करने के वास्ते चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) के प्रस्ताव का अनुमोदन करता है ।

मामला सं. टीएएमपी/63/99-सीएचपीटी.

दि चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) --- आवेदक

आदेश

(सितम्बर,99 के 5वें दिन को पारित किया गया)

1. यह मामला परित्याग किए गए एपफसीएल कंटेनरों/पोतवणिक स्वामित्व वाले कंटेनरों और 'गैर-पोतवणिक स्वामित्व वाले कंटेनरों' के लिए भण्डारण प्रभार निर्धारित करने के वास्ते चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) से प्राप्त एक प्रस्ताव से संबंधित है ।

2. मान ख - लदे हुए कंटेनर-कंटेनरों के रूकने का समय और तत्संबंधी भंडारण प्रभारों के अंतर्गत विद्यमान टिप्पणी सं0 3 के नीचे नई टिप्पणी सं0 4 और 4(क) शामिल करने का प्रस्ताव है । इस समय परित्याग किए गए कंटेनरों के लिए भंडारण प्रभार लगाने से छूट देने के लिए दरों के मान में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है । मैसर्स भारतीय नौवहन निगम (एससीआई) ने 60 दिन के पश्चात भंडारण प्रभार लगाने से रोकने के लिए पत्तन से अनुरोध किया है, जैसाकि इस समय जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) द्वारा किया जा रहा है ।

3. प्रस्तावित संशोधन निम्नलिखित है :

टिप्पणी - 4

परित्याग किए गए एफसीएल कंटेनरों/पोतवणिक स्वामित्व वाले कंटेनरों के भंडारण प्रभार, ऐसे परित्याग किए गए एफसीएल कंटेनरों/पोतवणिक स्वामित्व वाले कंटेनरों की बंदरगाह कार्यालय में लिखित में परित्याग की सूचना प्राप्ति की तारीख तक अथवा कंटेनर के अवतरण की तारीख से दो माह, इनमें से जो भी बाद में हो, तक सीमित किए जाएंगे ।

बंदरगाह कार्यालय में परित्याग की सूचना के लिखित रूप में प्राप्त होते ही, यातायात प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि भण्डारण क्षेत्र से कंटेनर को हटाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं और बिना समय गंवाए माल उतारा जाए ।

टिप्पणी 4(क)

"पोतवणिक स्वामित्व वाले कंटेनर" से भिन्न कंटेनर को नियमित भण्डारण क्षेत्र से हटाया जाएगा और मेन लाइन आपरेटरों (एमएलओ) की लागत पर पत्तन न्यास द्वारा अपने व्यय और जिम्मेवारी पर सेल्ज वेयरहाऊस/ओवरफलो शेड्स में लाया जाएगा तथा वहां पर कंटेनर से माल उतारा जा सकता है और खाली कंटेनर को एमएलओ द्वारा पत्तन परिसर से हटाया जा सकता है ।

4. इस प्राधिकरण की यह उल्लिखित स्थिति रही है कि अवतरण होने के पश्चात माल उतारने/निकासी की 45/60 दिन की सांविधिक अवधि का पालन किया जाएगा और यदि इसका पालन नहीं किया जाता है, तब कंटेनर की परेषिती की लागत पर नीलामी की जाएगी ।

5. इसलिए, सीएचपीटी का यह अनुरोध है कि उनके मामले में भी यही सिद्धांत लागू किया जाए ।

6. तदनुसार, यह प्राधिकरण परित्याग किए गए कंटेनरों के संबंध में दो माह की समय सीमा निर्धारित करता है और मान ख - लदे हुए कंटेनर-कंटेनरों के रूकने का समय और तत्संबंधी भण्डारण प्रभारों के अंतर्गत विद्यमान टिप्पणी सं0 3 के नीचे नई टिप्पणी सं 4 और 4(क) शामिल करता है,

टिप्पणी 4

परित्याग किए गए एफसीएल कंटेनरों/पोतवणिक स्वामित्व वाले कंटेनरों के भंडारण प्रभार, ऐसे परित्याग किए गए एफसीएल कंटेनरों/पोतवणिक स्वामित्व वाले कंटेनरों की बंदरगाह कार्यालय में लिखित में परित्याग की सूचना प्राप्ति की तारीख तक अथवा कंटेनर के अवतरण की तारीख से दो माह, इनमें से जो भी पहले हो, तक सीमित किए जाएंगे ।

बंदरगाह कार्यालय में परित्याग की सूचना के लिखित रूप में प्राप्त होते ही, यातायात प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि भण्डारण क्षेत्र से कंटेनर को हटाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं और बिना समय गंवाए माल उतारा जाए ।

टिप्पणी 4(क)

"पोतवणिक स्वामित्व वाले कंटेनर" से भिन्न कंटेनर को नियमित भण्डारण क्षेत्र से हटाया जाएगा और मेन लाइन आपरेटरों (एमएलओ) की लागत और जिम्मेवारी पर सेल्ज वेयरहाऊस/ओवरफलो शेड्स में लाया जाएगा तथा तत्पश्चात, एमएलओ द्वारा पत्तन परिसर से खाली कंटेनर हटाए जाने से पहले कंटेनर को खाली किया जा सकता है ।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन/3/4/143/99(असाधारण)]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 1999

No. TAMP/63/99-CHPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby approves the proposal of the Chennai Port Trust (CHPT) for fixation of a time limit of two months for abandoned FCL Containers/Shipper owned containers and 'other than shipper owned containers' in the CHPT Scale of Rates as in the Order appended hereto.

Case No.TAMP/63/99-CHPT

The Chennai Port Trust (CHPT) --- **Applicant**

ORDER

(Passed on this 5th day of September 99)

1. This case relates to a proposal received from the Chennai Port Trust (CHPT) for fixation of storage charges for abandoned FCL Containers / shipper owned containers and 'other than shipper owned containers'.

2. The proposal is to introduce a new Note 4 and 4(a) below the existing Note No.3 under Scale-B – Loaded Containers – DWELL TIME FOR CONTAINERS AND STORAGE CHARGES THEREON. At present there is no specific provision in the Scale of Rates to exempt levy of storage charges for abandoned containers. M/s. Shipping Corporation of India (SCI) has requested the port to stop the levy of storage charges after 60 days as is being done by the Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT).

3. The proposed amendments are as follows:

Note 4:

Storage charges on abandoned FCL Containers / Shipper owned containers shall be limited upto the date of receipt of intimation of abandonment in the Harbour Office in writing or two months from the date of landing of the container, whichever is later, for such abandoned FCL Containers / Shipper owned containers.

Immediately on receipt of intimation of abandonment in the Harbour Office in writing, the Traffic Manager shall ensure that immediate steps are taken to facilitate removal of the container from the storage area and for destuffing without any loss of time.

Note 4(a)

The container other than 'shipper owned container' shall be removed from the regular storage area and moved to Sales Warehouse / Overflow Sheds by the Port Trust at the cost of Main Line Operators (MLOs) at their expense and responsibility and therefrom the container can be destuffed and empty container can be removed from the Trust's premises by the MLOs.

4. It has been the stated position of this Authority that the statutory limit of 45/60 days for destuffing / clearing after landing shall be adhered to; and, if it is not adhered to, then, the container shall be auctioned at the consignee's cost.

5. The request of the CHPT, therefore, amounts only to an application of this principle in their case also.

6. Accordingly, the Authority fixes a time limit of two months in respect of abandoned containers and introduces a new Note 4 and 4(a) below the existing Note No.3 under Scale-B – Loaded Containers – DWELL TIME FOR CONTAINERS AND STORAGE CHARGES THEREON as follows:

Note 4

Storage charges on abandoned FCL containers / Shipper owned containers shall be limited upto the date of receipt of intimation of abandonment in the Harbour Office in writing or two months from the date of landing of the container **whichever is earlier**, for such abandoned FCL Containers / Shipper owned containers.

Immediately on receipt of the intimation of abandonment in the Harbour Office in writing, the Traffic Manager shall ensure that steps are taken at once to facilitate removal of the container from the Storage Area and for destuffing it without any loss of time.

Note 4(a)

The container other than 'shipper owned container' shall be removed from the regular Storage area and moved to Sales Warehouse / Overflow Sheds by the Port Trust at the cost and responsibility of the Main Line Operators (MLOs); and, thereafter, the container can be destuffed before the empty containers are removed from the Trust's premises by the MLOs.

S. SATHYAM, Chairman

[Advt./III/IV/Exty./143/99]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054